



**SUDANA**

***CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA (INDORE)***

**UNIT OF INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT  
INDORE (M.P)**

**E-TENDER  
FOR  
*Sale of Old Gunny Bags***

**DATED: 18.10.2023**

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA, DISTT.INDORE (M.P)

Mob. 9685559289

E-mail :- [sudana\\_manglia@rediffmail.com](mailto:sudana_manglia@rediffmail.com), [sudana.manglia@gmail.com](mailto:sudana.manglia@gmail.com)

**INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT  
UNIT CATTLE FEED FACTORY- MANGLIA  
INDORE (M.P.)  
Mob. 9685559289**

---

**निविदा प्रपत्र**

**निविदा कार्य :-** पशु आहार में लगनेवाले कच्चेमाल का पुराना खाली जूट बारदाना विक्रय की एक वर्ष (01.12.2023 से 30.11.2024 तक) हेतु ई- निविदा।

- ई-निविदा क्रय की अंतिम तारीख : 18.10.2023 सुबह 11.00 बजे तक
- ई-निविदा जमा करने की अंतिम तारीख : 18.10.2023 सुबह 11.00 बजे तक
- ई-निविदा खोले जाने की तारीख : 19.10.2023 समय 02.00 बजे  
एवं समय
- ई-निविदा खोले जाने का स्थान : पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर
- पत्राचार हेतु पता : महाप्रबंधक  
पशु आहार संयंत्र,  
मांगलिया इन्दौर  
म.प्र. 453 771

**ANNEXURE-1 :- निविदा शर्त**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

**इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
इकाई पशुआहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर****\* पुराना बारदाना विक्रय निविदा की सामान्य शर्तें \***

1. पशु आहार में लगनेवाले कच्चेमाल का पुराना खाली जूट बारदाना विक्रय "जहां है जैसा है" की स्थिति के आधार पर किया जावेगा। प्रतिमाह उठाने के आधार पर अपनी दर **(कर रहित, Without tax)** प्रस्तुत करें। शासन द्वारा समय-समय पर लागू जीएसटी, टीसीएस आदि कर अतिरिक्त रहेंगे।
2. यदि क्रेता चाहे तो भाव पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालयीन समय में बारदानों का अवलोकन कर सकते हैं।
3. ई-निविदाकर्ता को लोडिंग/अनलोडिंग, परिवहन तथा अन्य समस्त कर वहन करना होंगे।
4. पुराना खाली बारदाने विक्रय ई-निविदा की प्रतिभूति राशि रु. 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) होगी जिसमें से ई-निविदा में आवेदन के समय रु. 50,000.00(पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में शेष रु. 50,000.00 की राशि सफल निविदाकार को पुनः डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के द्वारा इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्यादित, इकाई पशु आहार संयंत्र, मांगलिया इन्दौर में जमा कराना होगी।
5. बिना अमानत राशि के भाव पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई अमानत राशि को निविदा अवधि पूर्ण होने एवं समस्त बारदाना उठाने के उपरांत एक माह के अन्दर वापस किया जायेगा।
6. क्रेता द्वारा दी गई दरें स्वीकृत होने पर प्रबंधन के आदेशानुसार समयावधि में संयंत्र में उपलब्ध समस्त पुराना बारदाना उठाना अनिवार्य होगा। यह अनुबंध विक्रय आदेश की दिनांक से **एक वर्ष** तक निकलनेवाले पुराना बारदान पर प्रभावशील रहेगा। अनुमोदित दर अनुसार क्रेता को प्रतिमाह की 10 तारीख तक पुराना बारदाना उठाना आवश्यक होगा। क्रेता द्वारा प्रबंधन के निर्देशानुसार बारदाने न उठाने की स्थिति में क्रेता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि रुपये 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) राजसात करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।
7. उपलब्ध पुराना बारदाना की सुपुर्दगी, इसकी सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ इकाई पशु आहार संयंत्र, मांगलिया इन्दौर में अग्रिम जमा करने के पश्चात ही दी जावेगी।
8. बारदाने उठाने सम्बन्धी क्रेता को दिए गए आदेश को लिखित सूचना देकर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर को रहेगा।
9. पुराना बारदाना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
10. उक्त शर्तों में परिवर्तन करने अथवा शिथिल करने एवं मोल भाव करने का अधिकार प्रबंधन के स्वविवेक पर निर्भर होगा।

11. समय-समय पर प्रबंधन द्वारा पुराने बारदानों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
12. क्रेता द्वारा दिए गए भाव पत्र को बिना कोई कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक स्वीकार अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंधन को होगा ।
13. प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र अनुबंध निष्पादन हेतु अधिकृत है ।
14. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकार को प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र मांगलिया के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं रू. 1000.00 (एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर यह अनुबंध एवं शर्तें स्वयं के खर्च से प्रस्तुत करना होगा ।
15. यह निविदा एक वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है। प्रबंधन और क्रेता की आपसी सहमति से इस अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।
16. विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार इन्दौर रहेगा ।

—मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर